



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 13, 2008/आश्विन 21, 1930

No. 552]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2008/ASVINA 21, 1930

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2008

सा.का.नि. 730(अ).—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1 से 41 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2006 और भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 518(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2007, शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 70(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2008 तथा शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 383(अ), दिनांक 16 मई, 2008 के साथ पठनीय, में :—

पृष्ठ 2 पर नियम 1 के उप-नियम (2) में शब्दों और अंकों, "ये 20 अक्टूबर, 2008 को प्रवृत्त होंगे, सिवाए नियम 9 के जो 20 नवम्बर, 2006 को प्रवृत्त होंगे और नियम 8 के जो 20 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त होंगे" के स्थान पर "ये 18 मार्च, 2009 को प्रवृत्त होंगे, सिवाए नियम 9 के जो 20 नवम्बर, 2006 को प्रवृत्त होंगे और नियम 8 के जो 20 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त होंगे" पढ़ें।

[सं. पी. 15014/9/2001-पी.एच.(एफ)]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th October, 2008

G.S.R. 730(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number G.S.R. 491 (E), dated the 21st August, 2006, published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1—41 of the Gazette of India, Extraordinary and read with corrigendum numbers G.S.R. 518(E), dated 31st July, 2007, G.S.R. 70(E), dated 5th February, 2008, and G.S.R. 383(E), dated 15th May, 2008 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary :—

At page 24, in sub-rule (2) of rule 1, for the words and figures, "They shall come into force on the 20th October, 2008 except rule 9, which shall come into force on the 20th day of November, 2006, and rule 8 which shall come into force on the 20th day of August, 2007" read the words and figures "They shall come into force on the 18th March, 2009 except rule 9, which shall come into force on the 20th day of November, 2006 and rule 8 which shall come into force on the 20th day of August, 2007".

[No. P. 15014/9/2001-PH(F)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.